

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन पाल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 6()2018 / कार्मिक-विविध / प्रमुवसं-00064 /

दिनांक :

निमित्त

समस्त वनाधिकारीगण ।

विषय:-राजकीय पत्र व्यवहार करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (गुप-1) विभाग का परिपत्र क्रमांक प. 10

(1)प्रसु/सम/अनु-1/2012 दिनांक 12.03.2024 ।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के द्वारा शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (गुप-1) विभाग ने शासन के सभी स्तरों पर पारदर्शिता, जन सहभागिता और सुगम सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजकीय पत्र व्यवहार करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 1 में निर्देशित किया गया है कि "अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजकीय पत्र व्यवहार करते समय पत्र पर कार्यालय का सम्पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर, फेक्स नम्बर, विभागीय वेबसाईट कार्यालय/संबंधित अधिकारी की ई-मेल आई.डी. भी आवश्यक रूप से अंकित की जावे।"

अतः आप उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे। निर्देशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जायेगा और ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीय,

(अरिजीत बनर्जी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 6()2018 / कार्मिक-विविध / प्रमुवसं-00064 / 8251 दिनांक : 19/03/24
प्रतिलिपि उप वन संरक्षक सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

(बृज मोहन गुप्ता)

उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय का पता- कमरा नं. ए-402 अरण्य भवन, होलाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

फोन नं. 0141-2713810 Email Id dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in

वेब साईट www.forest.rajasthan.gov.in

Digitally Signed by
BANERJEE
Designation : Principal Chief
Conservator of Forest
Date :19-03-2024 12:29:52